



डीआईसीजीसी - बैंक में जमा राशियों के लिए सुरक्षा कवच



1

बीमा

प्रत्येक बैंक में आपकी ₹5 लाख तक की जमाराशि बीमित है।

2

प्रीमियम

जमा खाताधारकों को इस सेवा के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता।

3

कौनसे बैंक ?

सभी बैंकों के लिए जमा बीमा कवर प्राप्त करना अनिवार्य है।

4

कब?

डीआईसीजीसी परिसमाप्त बैंकों/ जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “सर्व समावेशी निदेशों” के अंतर्गत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को, “समान क्षमता और समान अधिकार” में, ₹ 5 लाख की बीमा सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआईसीजीसी की वेबसाइट WWW.DICGC.ORG.IN पर लॉग ऑन करें।